

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - कुनारा / पासा
तहसील - मोरी, जिला - उत्तरकाशी
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुनारा पासा नहर परियोजना के निर्माण हेतु 0.69 है० आरक्षित वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

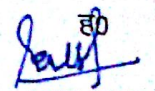
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुनारा द्वारा दिनांक 12.08.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी । यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदिन वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुनारा / पासा के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव


ग्राम प्रधान

यदि किसी आदिवासी अथवा वन वासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय ।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ANNEXUURE

OFFICE OF THE DISTRICT MEGISTRATE
DISTRICT UTTARKASHI (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA.2006 was held under the chairmanship of Mr.C.Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 27.09.2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 0.690 Ha for the construction of canal of forest land under FRA.2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mori sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made& hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi

Dated: 27.09.2015


(C.Ravishankar)
District Magistrate –cum –Chairman
District Level Committee
Uttarkashi

Form-I
(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of District Collector Uttarkashi

No...11.6

Dated...29/9/14

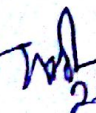
TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

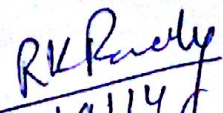
In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter No 11-9/98FC(pt) Dated 03 aug,2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under Schedule Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 on forest land proposed to be diverted for non-forest purposes and with MoEF'S letter dt. 5th Feb.2013 wherein MoEF issued certain relaxation in request of linear projects, it is certified that 0.69 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **Irrigation Department** for construction of 'Kunara Pasa canal construction work' in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Pasa village in Mori tehsil.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.69 Ha of forest area proposed for diversion. A copy of all conference and meetings of the forest rights committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division level committee are enclosed as annexure. 23.1
...to...2.3.2.....annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA. I have completed and the gram sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above


26/9/14
तहसीलदार
मोरी
जिला - उत्तरकाशी


26/9/14
SDM(P)


Signature

27.9.14.
(C.Ravishankar)
District Collector
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम - कुनारा पासा नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का सिंचाई

विभाग को को हस्तान्तरण

कार्यालय उपजिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बंनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति – मोरी

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुनारा पास नहर (0.690 है० आरक्षित वन भूमि —हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि —हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.69 है० वन भूमि) सिंचाई विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील मोरी) की दिनांक 26.9.14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक श्री राजकुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है -

1	R.K. Pandey	S.D.M Purula	Meharaj
2	श्री. के. पी. वर्मा	उप प्रभारीक तनखिल्लासी	सदस्य / लेखक
3	" डी. ई. नीरियाल	सा वि० आ (समानकल्याण) वि० लक्ष्मी	सदस्य
4	श्रीमते ज्ञान कुमार देवी	प्रतिपाद्य सदस्य (वि० वि० संकाय-भाषा)	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। माननीय सदस्यों को अवगत करवाया गया कि कुनारा पासा नहर परियोजना हेतु 0.69 है० भूमि सिंचाई विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित की जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन कि अनुसंशा कि गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वनप्रभाग पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया

है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापति जारी कि जा सकती है।

कुनारा - पासा नहर परियोजना के निर्माण हेतु 0.69 है० वन भूमि सिंचाई विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।



उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - मोरी

जनपद - उत्तरकाशी

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - मोरी

जनपद - उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:- कुनारा - पासा नहर निर्माण कार्य

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

दि० 12-8-2014

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित योजना के निर्माण से मुझे एवं मेरे ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।


सदस्य
क्षेत्र पंचायत पेंसर
Kunara - मोरी (उत्तरकाशी)

ग्राम पंचायत - कुनारा
विकास खण्ड - मोरी
जिला - उत्तरकाशी

- 1) कुन्दन सिंह . कुन्दन सिंह
- 2) गोविन्द सिंह गोविन्द सिंह
- 3) सेवार सिंह सेवार सिंह
- 4) रघुवीर सिंह रघुवीर सिंह
- 5) जेठवीर सिंह जेठवीर सिंह
- 6) रक्म सिंह रक्म सिंह
- 7) विनोद सिंह विनोद सिंह
- 8) अमीन सिंह अमीन सिंह
- 9) किशन सिंह Kiशन
- 10) मुष्टुवीर सिंह मुष्टुवीर सिंह
- 11) प्रताप सिंह प्रताप सिंह
- 12) नैन सिंह नैन सिंह
- 13) शिखपाल सिंह शिखपाल सिंह
- 14) श्रीमति बकली देवी श्रीमति बकली देवी
- 15) लखवीर सिंह लखवीर सिंह
- 16) मनोज सिंह मनोज सिंह
- 17) सुरवीर सिंह सुरवीर सिंह
- 18) अन्तोष सिंह अन्तोष सिंह
- 19) नीरज रावत नीरज रावत
- 20) मोहित सिंह मोहित सिंह
- 21) अन्ना सिंह अन्ना सिंह
- 22) रणवीर सिंह रणवीर सिंह
- 23) उज्जल सिंह उज्जल सिंह